औद्योगिक इकाइयों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नहीं वसूल सकता यूपीपीसीबी : हाईकोर्ट

संवाद न्यूज एजेंसी

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि औद्योगिक इकाइयों पर यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की शक्ति सिर्फ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने यूपीपीसीबी द्वारा औद्योगिक इकाइयों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के आदेशों को रद्द करके याचिकाएं मंजूर कर लीं।

न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह फैसला औद्योगिक

कहा, क्षतिपूर्ति लगाने की शक्ति सिर्फ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास

इकाइयों की ओर से से दायर 177 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके दिया है। याचिका में यूपीपीसीबी की ओर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के तहत सिर्फ ट्रिब्यूनल को ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने करने की शक्ति है।

यह भी कहा कि जल प्रदूषण के संबंध में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन प्रदेश में ऐसा कोई विधान लागू नहीं किया गया है। जबकि असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल में जल प्रदूषण को लेकर कानून बने हुए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि हमें आशा और विश्वास है कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कानूनों को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। अगर विधायी या कार्यपालिका स्तर पर कोई त्रुटियां हैं, तो उन्हें दूर किया जाएगा। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिकाएं मंजूर कर लीं।